

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची-834001

प्रेस विज्ञप्ति

संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 (विज्ञापन संख्या-23/2016) से संबंधित आवश्यक सूचना

संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-23/2016) राँची जिला मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक-07.11.2017 से 11.11.2017 तक निम्न कार्यक्रमानुसार प्रस्तावित है:-

क्र० सं०	दिनांक	प्रथम पाली (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	द्वितीय पाली (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)
1.	07.11.2017 (मंगलवार)	प्रथम पत्र (I)	द्वितीय पत्र (II)
2.	08.11.2017 (बुधवार)	तृतीय पत्र (III)	-
3.	09.11.2017 (गुरुवार)	चतुर्थ पत्र (IV)	-
4.	10.11.2017 (शुक्रवार)	पंचम पत्र (V)	-
5.	11.11.2017 (शनिवार)	षष्ठम पत्र (VI)	-

2. मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र एवं अन्य सूचनाएं बाद में दी जायेंगी।
3. **अनिवार्य सूचना-** मुख्य परीक्षा हेतु चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण, विकलांगता, खेलकूद, भूतपूर्व सैनिक एवं झारखण्ड सरकार के सरकारी सेवक के रूप में अधिकतम उम्र सीमा में छूट के लाभ हेतु दावा किया गया है, वे संबंधित दावे के पक्ष में विज्ञापन संख्या-23/2016 में निहित प्रावधान व शर्तों के आलोक में ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति दिनांक-06.11.2017 तक अनिवार्य रूप से आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपलोड एवं Hard Copy आयोग कार्यालय में हाथों-हाथ/स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से अनिवार्य रूप से **"परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001"** के पते पर निम्न रूपेण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे:-
- (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन संख्या-23/2016 की कडिका-7(ख) एवं (ग) के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट किए गए जाति प्रमाण पत्र संख्या, तिथि एवं निर्गत करने वाले प्राधिकार के अनुसार प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे।
- (ख) विकलांगता के दावे हेतु विज्ञापन संख्या-23/2016 की कडिका-7(ड) के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टि के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे।
- (ग) खेलकूद कोटा हेतु किए गए दावे के समर्थन में विज्ञापन संख्या-23/2016 की कडिका-7 (घ) में निर्धारित मानदंड एवं उपलब्धि के अनुसार प्रविष्टि किए गए प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे।
- (घ) झारखण्ड सरकार के सरकारी सेवक के रूप में विज्ञापन संख्या-23/2016 की कडिका-5(ड) के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट के लाभ हेतु किए गए दावे के समर्थन में ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टि के अनुसार प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे।

- (ड) भूतपूर्व सैनिक के रूप में अधिकतम उम्र सीमा में विज्ञापन संख्या-23/2016 की कडिका-5(छ) के अनुसार छूट के लाभ हेतु किए गए दावे के समर्थन में ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टि के अनुसार प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे।
- (च) सभी प्रमाण पत्र पठनीय होना चाहिए। अपठनीय प्रमाण पत्र अस्वीकार कर दिए जायेंगे। तथा संबंधित दावा निरस्त कर दिया जायेगा।
- (छ) Hard Copy भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर "संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 विज्ञापन संख्या-23/2016" तथा प्रारंभिक परीक्षा का अनुक्रमांक, निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि मोटे (Bold) एवं स्पष्ट अक्षरों में अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए अन्यथा लिफाफा खोला नहीं जा सकेगा तथा आवेदक इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

3. यह प्रेस विज्ञापित आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची